(7)

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 66/2020 अपील

1. रामा पिता केला माली निवासी पुर तहसील भीलवाडा	बनाम	1. नानुडी पुत्री गम्भीर माली निवासी पुर तहसील भीलवाडा 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा
–अपीलार्थी		– विपक्षीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तरकरण सं. 3634 दिनांक 11.03.2002 तहसीलदार भीलवाडा

उपस्थित –

1. श्री मांगीलाल सेन अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री एम. एल. बुनकर अधिवक्ता – विपक्षी सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.9.2020

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर की कृषि आराजी नंबर 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,194,195,196,203,285, 286, 287,292, 300, 301, 302,303,9097/28, 9099/430, 9134/30 किता 28 कुल रकबा 36.06 बीघा में केला पिता तेजा की मृत्यु पश्चात् विरासत का जो नामान्तरकरण खोला गया उसमें नानूडी पुत्री केला किया गया जबकि केला के कोई पुत्री ही नही हैं। इसी ग्राम में नानूडी पुत्री केला के नाम पर एक अन्य खातें मे हिस्सा दर्ज हैं, जो कि केला अलग है इस खाते में केला पिता तेजा हैं। केला पिता तेजा के कोई पुत्री नहीं है। इस खाते में देवीलाल पिता गम्भीर हैं। उसकी बहिन नानूडी पुत्री गम्भीर हैं। नानूडी पुत्री केला नहीं हैं। क्योंकि केला पिता तेजा के कोई पुत्री नहीं हैं। केला पिता तेजा ही हैं। इनके अलावा ओर कोई वारिस नहीं हैं। इसके बावजूद पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण सं. 3634 में गलत सजरा दर्शातें हुए नानूडी को केला पिता तेजा की पुत्री मानते हुए गलत रूप से नामान्तरकरण संख्या 3634 में इन्द्राज कर दिया। अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी किसान केडिट बनाते समय जमाबन्दी की आवश्यकता होने से दिनांक 15.08.2017 को नकल प्राप्त होने पर हुयी। अपील मे दफा 05 कानून मियाद अधिनियम का आवेदन अलग से प्रस्तुत किया हैं। निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय नामान्तरकरण सं. 3634 निर्णय दिनांक 11.03.2002 निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में विपक्षी सं. 01 का नाम विलोपित किया जावे।

प्रस्तुत अपील न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 07.11.

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

2017 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 16.07.2020 को देने हेतु व्यक्तिशः अधिवक्ताओं को सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी सं. 01 की ओर से जवाब पेश हुआ।

प्रस्तुत अपील में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस एवं लिखित बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर की कृषि आराजी नंबर 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 194,195,196,203,285, 286, 287,292, 300, 301, 302,303, 9097/28, 9099/430, 9134/30 किता 28 कुल रकबा 36.06 बीघा में केला पिता तेजा की मृत्यु पश्चात् विरासत का जो नामान्तरकरण खोला गया उसमें नानूडी पुत्री केला किया गया जबकि केला के कोई पुत्री ही नही हैं। इसी ग्राम में नानूडी पुत्री केला के नाम पर एक अन्य खातें मे हिस्सा दर्ज हैं, जो कि केला अलग है इस खाते में केला पिता तेजा हैं। केला पिता तेजा के कोई पुत्री नहीं है। इस खाते में देवीलाल पिता गम्भीर हैं। उसकी बहिन नानूडी पुत्री गम्भीर हैं। नानूडी पुत्री केला नहीं हैं। क्योंकि केला पिता तेजा के कोई पुत्री नहीं हैं। केला पिता तेजा ही हैं। इनके अलावा ओर कोई वारिस नहीं हैं। इसके बावजूद पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण सं. 3634 में गलत सजरा दर्शातें हुए नानूडी को केला पिता तेजा की पुत्री मानते हुए गलत रूप से नामान्तरकरण संख्या 3634 में इन्द्राज कर दिया। निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय नामान्तरकरण सं. 3634 निर्णय दिनांक 11.03.2002 निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में विपक्षी सं. 01 का नाम विलोपित किया जावे।

विपक्षी सं. 01 के अधिवक्ता ने अपने जवाब व बहस में बताया कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर की उक्त कृषि आराजियात 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43, 194,195,196,203,285, 286, 287,292, 300, 301, 302,303, 9097/28, 9099/430, 9134/30 किता 28 रकबा 36.06 बीघा में अधीनस्थ न्यायालय ने विरासत का बिना परीक्षण किये गलत नामान्तरकरण खोल दिया है। जबकि नानूडी पुत्री गम्भीर पति हरलाल माली की पत्नी है। जो पुर से आटूण विवाह कर लिया हैं एवं आटूण में रहती हैं। केला पिता तेजा की भूमि में नानूडी का कोई लेना देना नहीं हैं। केला पिता तेजा के कोई पुत्री नहीं हैं एवं केला पिता रामा का एकमात्र वारिस रामा हैं जो केला का जायन्दा पुत्र हैं। नामान्तरकरण संख्या 3634 दिनांक 11.03.2002 को निर्णित करने में त्रुटि यह हुई कि नानूडी के पिता का नाम गम्भीर हैं व भाई देवीलाल है जो कि गम्भीर की मृत्यु का जो विरासत का नामान्तरकरण खोला उसमें देवीलाल के साथ नानूडी पुत्री गम्भीर का नाम भी अंकित होना चाहिये था जो नहीं हुआ और केला पिता तेजा की विरासत जो खोली गयी उसमें पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी जांच के गलत रूप से

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नानूडी पुत्री केला अंकित कर अपीलार्थी रामा के साथ नाम अंकित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण हैं। इसलिए प्रत्यथी सं. 01 नानूडी का नाम हटाया जाने पर मुझ प्रत्यर्थी सं. 01 को कोई आपत्ति नहीं हैं। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं. 3634 को निरस्त कर उक्त भूमि का नामान्तरकरण अकेले रामा पिता केला के नाम स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दिये जाने पर विपक्षी सं. 01 को कोई आपत्ति नहीं हैं।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर की कृषि आराजी 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 194,195, 196,203,285, 286, 287,292, 300, 301, 302,303, 9097/28, 9099/430, 9134/30 किता 28 रकबा 36.06 बीघा नामन्तरकरण सं. 3634 में तहसीलदार भीलवाडा ने दिनांक 11.03.2002 को केला पिता तेजा के सजरा अनुसार केला के फोत होने पर विरासतन रामा पिता केला व नानूडी पुत्री केला के नाम नामान्तरकण दर्ज किया गया। प्रत्यर्थी सं. 01 के स्वयं के जवाब व लिखित बहस अनुसार प्रत्यर्थी सं. 01 नानूडी पुत्री केला नही होकर नानूडी पुत्री गम्भीर होना व्यक्त किया हैं एवं प्रत्यर्थी सं. 01 ने स्वयं स्वीकार किया हैं कि विरासतन गलत खोला गया है। इस प्रकार केला की विरासत त्रुटिपूर्ण अंकित होना प्रतीत होता हैं। केला पिता तेजा के विधिक वारिसान की जांच की जाकर पुनः विरासत नामान्तरकरण कार्यवाही की जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। उक्त विवेचन अनुसार अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 3634 दिनांक 11.03.2002 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार भीलवाडा को प्रकरण रिमाण्ड करते हुए निर्देशित किया जाता है कि केला पिता तेजा के विरासतन संबंधी समस्त दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया जाकर पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे। तहसीलदार भीलवाडा को निर्देश दिये जाते हैं कि नामान्तरकरण संख्या 3634 दिनांक 11.03.2002 में पूर्व मे दर्ज विरासत नामान्तरकरण प्रकिया में, इस आदेश के पश्चात् वारिसान की पुनः विधिनुसार जांच की जाने पर त्रुटि /अवैधता पाये जाने पर तत्कालीन पटवारी के विरूद्व नियमानुसार विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाडा एवं प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग को को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.9 ..2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)